न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :– 1884 / 2015
रजू दिनांक :– 01.01.2015

उनवानः–

1. मोहरली बेवा रामस्वरूप जाति मीणा .... मृतक।
2. सत्यप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा
3. जसवंत पुत्र रामस्वरूप मीणा
4. कमला पुत्री रामस्वरूप मीणा
5. सन्तरा पुत्री रामस्वरूप मीणा
6. बिमला पुत्री रामस्वरूप मीणा
7. सोमवती पुत्री रामस्वरूप मीणा
8. नाथी बेवा ज्ञानसिंह मीणा
9. लालाराम पुत्र ज्ञानसिंह मीणा
10. गणेश पुत्र ज्ञानसिंह मीणा
11. सावित्री बेवा राजेश मीणा
12. लक्ष्मी पुत्री राजेश मीणा
13. मुहकी पुत्री राजेश मीणा निवासीयान ग्राम शाहजहॉपुर तह. नीमराना।
14. दीपचन्द पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
15. सावित्री देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
16. गायत्री देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
17. माफी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
18. चौथी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासीयान ग्राम शाहजहॉपुर तह. नीमराना।

वादीगण / अप्रार्थीगण।

बनाम

1. शकुन्तला पुत्री चम्पा पत्नी ईश्वरसिंह जाति मीणा .... मृतक।
   1/1 सत्यवीर पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/2 जसवीर पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/3 धर्मवीर पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/4 सुरेश पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/5 राकेश पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/6 इन्द्रा पुत्री ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/7 कमली पुत्री ईश्वरसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम गुडियानी तह0 कोसली हरियाणा।
2. चन्दनसिंह पुत्र रामकुवार जाति मीणा निवासी गूगलकोटा तह0 नीमराना।
3. उपपंजीयक,नीमराना।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0</u>

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।</u>

दिनांकः– 29.5.2023

आज पत्रावली पेश हुई प्रा0पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 88,89,91,188,209 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन किया के आराजी ख.नं. साविक 1704 / 02–17,1721 / 02–07,1722 / 00–06 जिनके हाल ख0नं0

2362/0.34,2363/0.03,2364/0.40,2365/0.36 वाके ग्राम शाहजहाँपुर तह0 नीमराना हम वादीगण के बुजुर्ग रामस्वरूप,लक्ष्मीनारायण पुत्रान रामप्रसाद की पैदाकर्दा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। विवादित आराजी की बावत वाद वादीया की माता चम्पा द्वारा राजस्व वाद सं. 05 दिनांक 20.01.1975 को को माननीय न्यायालय एस0डी0ओ0 बहारोड के समक्ष चम्पा बनाम रामस्वरूप,लक्ष्मीनारायण बावत डिक्री इस्तकरार हक व हु0ई0दवामी पेश कर 1/3 हिस्सा पर खातेदार का अनुतोष चाहा यह वाद दिनांक 22.07.1977 को खारिज हो गया। इस आराजी बावत शकुन्तला ने अपने आप को चम्पा की पुत्री बता कर राजस्व वाद सं. 120/79 दिनांक 08.06.89 को सहायक कलक्टर बहरोड के न्यायालय मे शकुन्तला बनाम रामस्वरूप आदि बावत डिक्री ईतकरारहक पेश किया गया,इस वाद पूर्व मे पेश वाद सं. 05/75 के खारिज होने के तथ्यों को छुपाया गया। इस वाद मे सभी विधिक पक्षकारों को पक्षकार नही बनाया गया। प्रतिवादीगण पर विधिक रूप से तामिल सम्मन नही हुई प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश कर वाद साक्ष्य वादी हेतु नियत कर दिया गया। दिनांक 06.06.1995 को साक्ष्य वादी हेतु नियत कर दि गई,बहस हेतु दिनांक 16.01.1997 नियत कर आदेशिका दिनांक 17.09.1997 को बहस वादीसुनी जाकर पेश दिनांक 22.09.1997 को वास्ते आदेश नियत की गई। जबकि प्रा0डिक्री दिनांक 17.9.1997 को यानि बैक डेट मे तैयार कर शामिल पत्रावली कर दि गई। दिनांक 28.10.1997 को तहसीलदार को कुर्रे कायम करने हेतु लिखा गया वाद कार्यवाही के दौरान रामस्वरूप पुत्र रामप्रसाद की मृत्यु हो गई जिसके वारिस को भी वादी द्वारा रिकॉर्ड पर नही लिया गया एंव न्यायालय सहायक कलक्टर,बहरोड द्वारा मृतक रामस्वरूप के विरूद्व भी डिक्री पारित कर दी। तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करने पर वाद के प्रतिवादीगण के वारिसान जो वाद हाजा मे वादीगण है को प्रा0डिक्री दिनांक 17.09.97 को होने पर दिनांक 28.11.1997 को प्रा0पत्र आदेश 09 नियम 12,13 जा0दी पेश किया जिसकी प्रति वादीया के अभिभाषक को दि जाकर जवाब हेतु पेशी दिनांक 06.12.1997 नियत की गई। जिस पर बहस हेतु पेशी दिनांक 15.07.1998 तक नियत होती रही।

हम वादीगण द्वारा कानूनी राय लि जाकर प्रा0निर्णय व डि0 के विरूद्व अपील माननीय भूप्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की गई। जिस मे दिनांक 17.09.1997 को पारित आदेश की क्रियान्विती स्थगित कर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय से तलब की गई। माननीय न्यायायल भूप्रबंध अधिकारी,अलवर ने दिनांक 21.05.2004 को निर्णय किया जाकर सहायक कलक्टर बहरोड द्वारा वाद सं0 127/94 मे पारित प्रा0निर्णय व डिक्री दिनांक 17.09.1997 को निरस्त किया जा कर मृतकों के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए जाकर पत्रावली सहायक कलक्टर बहरोड को रिमाण्ड कर दि गई। न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड ने दिनांक 22.06.2004 को पक्षकारान उपस्थित हुए। दिनांक 21.04.2005 को दावा अदम पैरवी मे खारिज करा लिया गया।इस प्रकार माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड द्वारा पारित प्रा0डिक्री दिनांक 17.09.1997 प्रभावित नही रही उक्तानुसार संदर्भित वाद 127/94 (120/89) के अंतर्गत इस वाद की वादी शकुन्तला पुत्री चम्पा जो उनवानी वाद मे प्रति.सं. 01 है। को विवादित आराजी मे कोई अधिकार प्राप्त नही हुए। परन्तु वादीया शकुन्तला ने गलत रूप से प्रा0डिक्री दिनांक 17.09.1997 की इजराय पेश कर गुप चुप रूप इंतकाल अपने नाम दर्ज करा लिया जिसका ज्ञान हम वादीगण को नही हुआ चुकि उक्त संपूर्ण आराजी पर हम वादीगण काविज काश्त थे। जानकारी होने पर हमवादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त कर जानकारी होने पर यह दावा पेश करना लाजिम आया है। अतः विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर प्रति0सं0 01 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

अधिकारी
(अलवर)

उक्त वाद विचाराधीन रहते हुए दिनांक 19.07.2022 को प्रतिवादी सं. 02 की ओर से प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया कि उक्त उनवान के दावा मे वर्णित आराजी ख0नं0 2362/0.34,2363/0.03,2364/0.40,2365/0.36 वाकें शाहजहॉपुर की बाबत पूर्व मे एक राजस्व वाद सं. 1/127/94 उनवानी शकुन्तला बनाम रामस्वरूप पेश किया गया था। जिस दावे को न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड द्वारा पूर्ण सुनवाई के बाद दिनांक 17.9.1997 को डिक्री कर दिया गया तथा दूसरा प्रकरण उनवानी शकुन्तला बनाम रामस्वरूप को सहायक कलक्टर बहरोड द्वारा दिनांक 30.01.1997 को डिक्री कर दिया गया है जिन दोनो निर्णय के विरूद्व विपक्षी द्वारा न्यायालय भूप्रंबध एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील पेश की गई जो अपील सं0 34/98 उनवान सत्यप्रकाश बनाम श्रीमती शकुन्तला देवी व अन्य है जिसे न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर द्वार दिनांक 22.03.1999 को स्वीकार कर प्रकरण पुन सुनवाई कर निर्णय पारित करने के आदेश के साथ सहायक कलक्टर बहरोड को रिमाण्ड कर दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्व रैस्पों0 शकुन्तला देवी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपील सं. 05/99 व 06/99 उनवान शकुन्तला बनाम सत्यप्रकाश व अन्य पेश की गई। जिन अपीलों का राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पूर्ण सुनवाई कर भू-प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 22.03.1999 को निरस्त करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड द्वार पारित निर्णय को वहाल रखा गया। इसलिए न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड द्वारा पारित डिक्री के आधार पर इंतकाल सं0 647 शकुन्तला देवी के नाम से दर्ज व मंजूर किया गया इसके बाद शकुन्तला ने उक्त आराजी मे अपने 1/3 हिस्से का बेचान जरिये रजि0बैयनामा दिनांक 27.02.13 को चन्दनसिंह प्रतिवादी सं0 02 बेचान कर मौके पर कब्जा दे दिया जिस पर प्रतिवादी सं. 02 काविज काश्त है लेकिन वादीगण द्वारा बिना विधिक रूप से वाद कारण पैदा हुऐ ही मौजुदा दावा पेश किया गया है जो आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिधी मे आता है इसलिए दावा इसी स्टेज पर खारिज किया जावें।

वाद पत्र मे वर्णित आराजी की वावत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भू-प्रबंध अधिकारी एंव राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपीले निरस्त हो चुकी है इसलिए पुनः इसी आराजी एंव उन्ही पक्षकारों के मध्य उसी न्यायालय मे वाद नही चल सकता इसलिए मौजुदा वाद खारिज योग्य है। खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण/वादीगण के अभिभाषक ने प्रा.पत्र का जबाव पेश न कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न नकल दावा सं. 05 उनवानी चम्पा बनाम रामस्वरूप वगैराह से साबित है कि विवादित साबिक ख0नं0 के संदर्भ मे पक्षकारान के मध्य एक दावा उपखण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष पेश हुआ, तथा दूसरा दावा दिनांक 27.06.89 को सहायक कलक्टर बहरोड के न्यायालय मे शकुन्तला बनाम रामस्वरूप वगैरा इसी आराजी के बावत इन्ही पक्षकारान के मध्य था। जो सहायक कलक्टर बहरोड द्वारा निर्णित किया गया जिस निर्णय के विरूद्व एक अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष उनवानी सत्य प्रकाश बनाम शकुन्तला दायर कि गई, जिस अपील को दिनांक 21.05.2004 को स्वीकार करते हुए प्रकरण सहायक कलक्टर बहरोड को रिमाण्ड किया गया। इसके अलावा एक अपील सं. 34/98 राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय मे सत्यप्रकाश बनाम शकुन्तला सहायक कलक्टर,बहरोड के निर्णय दिनांक 30.01.1997 के विरूद्व दायर की गई। जिसका निर्णय दिनांक 22.03.1999 को करते हुए प्रकरण सहायक कलक्टर बहरोड को रिमाण्ड किया गया। जिससे साबित है कि उक्त आराजी के बाबत पक्षकारान के मध्य पूर्व मे वाद दायर होने पर निर्णित हुए है। यदि वादीगण को न्यायालय सहायक कलक्टर,बहरोड एंव भूप्रबंध अधिकारी अलवर के निर्णियों के से गुरेज था तो सक्षम न्यायालय मे ही अपील दायर

करनी चाहिए थी। कानूनन पुनः नया वाद दायर करने का वादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिधी मे आता है,जो वाद कानूनन चलने योग्य नही है। प्रार्थी /प्रति0 का प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण इसी स्टेज पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः आदेश है किः–

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इस्तकरार हक व हु0ई0दवामी बाबत आराजी ख0न0 हाल 2362/0.34,2363/0.03,2364/0.40,2365/0.36 वाके ग्राम शाहजहॉपुर तह.नीमराना आदेश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने के कारण दावा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.5.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जा कर खुले ायालय मे सुनाया गया।

29/5/2023

मुकुन्द सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :– 1884 / 2015
रजू दिनांक :– 01.01.2015

उनवानः–
1. मोहरली बेवा रामस्वरूप जाति मीणा .... मृतक।
2. सत्यप्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति मीणा
3. जसवंत पुत्र रामस्वरूप मीणा
4. कमला पुत्री रामस्वरूप मीणा
5. सन्तरा पुत्री रामस्वरूप मीणा
6. बिमला पुत्री रामस्वरूप मीणा
7. सोमवती पुत्री रामस्वरूप मीणा
8. नाथी बेवा ज्ञानसिंह मीणा
9. लालाराम पुत्र ज्ञानसिंह मीणा
10. गणेश पुत्र ज्ञानसिंह मीणा
11. सावित्री बेवा राजेश मीणा
12. लक्ष्मी पुत्री राजेश मीणा
13. मुहकी पुत्री राजेश मीणा निवासीयान ग्राम शाहजहॉपुर तह. नीमराना।
14. दीपचन्द पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
15. सावित्री देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
16. गायत्री देवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
17. माफी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा
18. चौथी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासीयान ग्राम शाहजहॉपुर तह. नीमराना।

वादीगण / अप्रार्थीगण।

बनाम

1. शकुन्तला पुत्री चम्पा पत्नी ईश्वरसिंह जाति मीणा .... मृतक।
   1/1 सत्यवीर पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/2 जसवीर पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/3 धर्मवीर पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/4 सुरेश पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/5 राकेश पुत्र ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/6 इन्द्रा पुत्री ईश्वरसिंह जाति मीणा
   1/7 कमली पुत्री ईश्वरसिंह जाति मीणा निवासी ग्राम गुडियानी तह0 कोसली **हरियाणा।**
2. **चन्दनसिंह** पुत्र रामकुवार जाति मीणा निवासी गूगलकोटा तह0 नीमराना।
3. **उपपंजीयक**,नीमराना।
4. **लैण्ड होल्डर** तहसीलदार,नीमराना।

प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0</u>

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0।</u>

दिनांक— 29.5.2023

पर्चा डिक्री

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इस्तकरार हक व हु0ई0दवामी बाबत आराजी ख0न0 ...ल 2362/0.34,2363/0.03,2364/0.40,2365/0.36 वाके ग्राम शाहजहाँपुर तह.नीमराना ...देश 07 नियम 11जा0दी0 की परीधि मे व वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होने ... कारण दावा खारिज किया जाता है।

29/5/2023

मुकुट [सिंह (आर.ए.एस.)]
उपख[ण्ड अधिकारी]
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उप खण्ड अधिकारी
नीमराणा (अलवर)